न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 187/2013

अगल :- बनाम प्रतिवादी :-

1. सुगनलाल वल्द भंवरू
जाति-रेगर निवासी-रास
तह.जैतारण जिला पाली

1.नारायणराम वल्द प्रभुराम
जाति-गुर्जर, निवासी लाम्बा
तहसील-मेडता, जिला नागोर

2 पुसाराम वल्द छोगाराम गुर्जर
निवासी रूपनगर तहसील
जैतारण जिला पाली

3 उदाराम के कायम मुकाम

3.1 लाडूदेवी पुत्री उदाराम पत्नी
सुगनाराम, निवासी-केसरपुरा

3.2 सुवटी पुत्री उदाराम पत्नी
दुर्गाराम, निवासी-पाटण

3.3 रूकमा पत्नी उदाराम गुर्जर

4 चैनाराम वल्द नारायणराम गुर्जर
निवासी लोटोती तहसील जैतारण
जिला पाली

5 करणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति
राजपूत निवासी रास तहसील
जैतारण पाली

6 तहसीलदार जैतारण,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

7 पटवारी, पटवार हल्का-रास-।
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अर्न्तगत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तारीख रजू:.19.06.2013

उपस्थितः- 1. श्री हरिओम पारिख, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-रास, पटवार हल्का-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में ख.नं. 816 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आयी हुई हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 तक की उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं तथा फोटो प्रति नक्शा ट्रेश की साथ पेश हैं। उक्त ख. न. की आराजी पर सायल का पुश्तैनी कब्जा काश्त आज दिन तक चला जा रहा हैं। ख.नं. 813, 814, 815 रकबा कमशः 03 विघा 18 बिस्वा, 02 बिघा 04 बिस्वा, 03 बीघा 19 बिस्वा किस्म बा0दो0 सायल के खेत के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

समीप आयी हुई, जो गैरसायलान 01 से 06 की है। गैरसायलान द्वारा सायल के कब्जे शुदा कृषि भूमि ख.नं. 816 रास पर अतिक्रमण कर हड़पना चाहते हैं। सायल व गैरसायलान के मध्य सीमा विवाद है। सायल के कब्जे काश्त में गैरसायलान सं. 1 से 5 को उनके वारिसान, नौकर, चाकर हाली एजेन्ट को दखलदांजी व दस्तदांजी करने से हमेशा वास्ते रोका जावें। ख.नं. 816 कृषि मौजा-रास-प्रथम रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा का सीमांकन कर नेखम बन्दी मुड्डागढ़ी का आदेश सायल के हक में गैरसायलान के खिलाफ पारित करावें। दिनांक 30/05/2012 को तहसीलदार, जैतारण के आदेश के बावजूद भी सीमांकन नहीं हुआ। अतः सीमांकन कर मुड्डागढ़ी व पत्थर गढ़ी का आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश पंचारिया ने वकालतनामा पेश करने का अण्डर टेकिंग लिया हैं। किन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सीमा विवाद को लेकर पक्षकारान् में तनाजा हैं। चूंकि सायल स्वयं राजस्व अभिलेख से खातेदार काश्तकार हैं तथा मौजा-रास में अपनी भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। गै0सा0 तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि सरहद मौजा-रास, पटवार हल्का-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में ख.नं. 813, 814, 815 रकबा क्रमशः 03 बिघा 18 बिस्वा, 02 बिघा 04 बिस्वा, 03 बीघा 19 बिस्वा किस्म बा0दो0 का पक्षकारान् में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner